

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग,  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 342/एफ 2013-17/00004/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त, 2013  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2013  
चिकित्सकों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (राजपत्रित) सेवा के सदस्य, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दंत शल्य चिकित्सक पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के सदस्य तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1981 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा (राजपत्रित) सेवा के सदस्य जिनकी वर्तमान में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष / 62 वर्ष है में वृद्धि कर दिनांक 1.4.2013 से 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है ।

2. तदनुसार छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013) द्वारा मूल नियम 56 में आवश्यक संशोधन किया गया है । यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 05.08.2013 में प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है । छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2013 दिनांक 1.4.2013 से प्रभावशील होगा । इस प्रकार माह अप्रैल 2013 में 60 वर्ष / 62 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा ।

3. ऐसे चिकित्सक जो दिनांक 1.4.2013 और इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख के बीच पूर्व नियमों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी आगामी

कर्त्तव्य अवधि उनके शासकीय सेवा में पुनः कार्यग्रहण करने की तिथि से गिनी जावेगी । ऐसे चिकित्सक दिनांक 30.09.2013 तक अनिवार्य रूप से कार्य पर उपस्थित हों अन्यथा यह माना जायेगा कि वे पुनः शासकीय सेवा में लौटने के इच्छुक नहीं हैं । ऐसे चिकित्सक जो अभी तक पुनः कार्य पर उपस्थित नहीं हुये हैं के मामले में उनके पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा शासन के इस निर्णय से उनको तत्काल लिखित में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना विभागाध्यक्ष को भी दी जावेगी । समस्त लौटाये जाने वाले स्वत्वों के शासकीय खजाने में जमा करने के बाद ही पुनः कार्यग्रहण की पात्रता होगी । उनकी सेवानिवृत्ति एवं पुनः कार्यग्रहण की अवधि के बीच के व्यवधान का निराकरण तथा सेवानिवृत्ति पर भुगतान किये गये स्वत्वों एवं नवीन पदस्थापना का निराकरण निम्नानुसार किया जाएगा:-

1. सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनः कार्यग्रहण की तिथि तक की व्यवधान अवधि के निराकरण हेतु शासकीय सेवक के निवेदन पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर उसके खाते में जमा अवकाश अथवा अन्य अवकाश न होने पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।
2. शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति पश्चात यदि पेंशन/उपदान अथवा पूर्वानुमानित पेंशन/उपदान का भुगतान कर दिया गया हो तो ऐसे भुगतान की संपूर्ण राशि एकमुश्त में पेंशन मद (मुख्य शीर्ष 0071) में जमा करते हुए कोषालय अधिकारी से प्रमाणित चालान की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
3. यदि अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो कार्यग्रहण के पूर्व भुगतान की गई संपूर्ण राशि एकमुश्त में शासकीय खजाने में वापस जमा करना आवश्यक होगा तथा उक्त अवकाश को अवकाश खाते में पुनः जमा दिखाया जायेगा ।
4. शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्ति के समय समूह बीमा योजना के सदस्य थे, को यदि समूह बीमा योजना के बचत निधि में जमा राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो पुनः कार्यग्रहण के पूर्व भुगतान की गई संपूर्ण राशि व्यवधान अवधि के अंशदान सहित मुख्य शीर्ष 8011 समूह बीमा योजना में जमा करना होगा तथा योजना यथावत् लागू रहेगी । किन्तु ऐसे व्यक्तियों की परिवार कल्याण निधि में जमा राशि का यदि भुगतान कर दिया गया हो तो उसे वापस जमा करने की आवश्यकता नहीं है ।
5. ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति के समय परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य थे तथा उन्हें नियमानुसार योजना की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो भुगतान की गई संपूर्ण राशि संबंधित शीर्ष 8342 परिवार कल्याण निधि में वापस जमा करना होगा तथा योजना यथावत् लागू रहेगी ।
6. शासकीय सेवक द्वारा यदि सेवानिवृत्ति पर गृह नगर जाने हेतु यात्रा भत्ते का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है तो उक्त राशि उसके द्वारा शासकीय कोष में वापस जमा किया जायेगा किन्तु यदि वह राशि वापस जमा नहीं करना चाहता है तो उससे इस बाबत एक लिखित घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उसे सेवानिवृत्ति पर या सेवा अवधि में उसकी मृत्यु होने पर परिवार को गृह नगर की यात्रा हेतु यात्रा भत्ते की

पात्रता नहीं होगी । यह घोषणा पत्र उसकी ब्यक्तिगत नस्ती में रखा जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में भी की जायेगी ।

7. यदि सेवानिवृत्ति पर शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि की राशि का अंतिम भुगतान कर दिया गया है तो उसे भुगतान की गई समग्र राशि एकमुश्त शासन के लोक लेखा में शीर्ष 8009 में वापस जमा करना होगा तथा महालेखाकार को उक्त शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि खाते को पुनः चालू करने हेतु निवेदन करना होगा ।


8. सामान्यतः शासकीय सेवक को वह जिस पद से सेवानिवृत्त हुआ है उसी पद पर कार्यग्रहण करना होगा किन्तु यदि वह पद रिक्त न हो तो किसी भी समान रिक्त पद पर उसे पदस्थापित किया जायेगा ।

9. यदि शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति से संवर्ग में रिक्त हुए पद पर किसी अन्य शासकीय सेवक को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से नियुक्त किया गया हो तथा संवर्ग में कोई समान पद रिक्त न हो तो उस पद पर कार्यरत व्यक्ति को हटाया नहीं जायेगा वरन् सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए संवर्ग में एक सांख्येतर पद निर्मित किया जाकर उसे उस पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा संवर्ग में कोई भी समान पद रिक्त होने पर उसे उस पद के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा ।

4. ऐसे शासकीय सेवक जो इस आदेश के लागू होने की तिथि अर्थात् 1.4.2013 पर सेवावृद्धि, पुनःनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति पर हैं उनके मामलों में यह आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि वे इस संशोधन के पूर्व विद्यमान नियमों/निर्देशों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हैं ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 343/एफ 2013-17-00004/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त, 2013

**प्रतिलिपि:-**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
  3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
  4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
  5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
  6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
  7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
  11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
  12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
  13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
  17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
  18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
  19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
  20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
  21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(राजेश कुमार श्रीवास्तव)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

## NRrhl x<+ vf/kfu; e

(कमांक 25 सन् 2013)

### NRrhl x<+ 'kkl dh; I od ¼/f/kok'kdh&vk; ½ ¼ d kks/ku½ vf/kfu; e] 2013-

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क. 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा, निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- 1- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा।  
(2) यह अधिनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

I {kkr uke rFkk  
i kjkk

- 2- छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (कमांक 29, सन् 1967) की धारा 2 में, मूलभूत नियम के नियम 56 में निम्नलिखित संशोधन समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:-  
¼ d½ उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

NRrhl x<+  
vf/kfu; e dætd  
29 I u-1967 dh  
/kkjk 2 }kjk ; Fkk  
i frLFkffi r  
enyHkur fu; e 56  
dk I d kks/ku-

“(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, उप-नियम (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ), (1-ङ) एवं (1-च) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु उपरोक्त वर्णित शासकीय सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली

तारीख हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में, सेवानिवृत्त हो जाएगा।”

**1/4nk1/2** उप-नियम (1-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(1-क) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, उप-नियम (1-घ) एवं (1-ङ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में, सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु उपरोक्त वर्णित शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

**Li "Vhdj.k&** इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, “शासकीय शिक्षक” से अभिप्रेत है, उप-नियम (1-घ) एवं (1-ङ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न ऐसा कोई शासकीय शिक्षक, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जो किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजनार्थ, ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो, किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जो बीस वर्ष से अन्यून अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।”

**1/4rhu1/2** उप-नियम (1-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया

जाए, अर्थात्:—

“(1—ग) (क) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, जो छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची—एक में उल्लिखित किसी ‘पशु चिकित्सा’ पद पर नियुक्त हुआ हो, वह सेवा से उस मास के अंतिम दिन के अपरान्ह: में सेवानिवृत्त हो जायेगा, जिसमें वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें

परंतु उपरोक्त वर्णित नियम का उपरोक्त वर्णित सदस्य जिसकी जन्म तिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा।

**Li "Vhdj .k &** इस उप—नियम के प्रयोजन के लिए “छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) के किसी सदस्य” से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जो पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में, ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियम के अनुसार, नियुक्त किया गया हो और उसमें ऐसा पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जिसने बीस वर्ष से अन्यून पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।

(ख) खण्ड (क) में अधिवार्षिकी आयु में साठ वर्ष से बासठ वर्ष की की गई वृद्धि दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से लागू हुई समझी

जाएगी।”

उप-नियम (1-घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर) का सदस्य जिसकी नियुक्ति, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर हुई हो और छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा हौम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य जिसकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा हौम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी आयुर्वेद शिक्षक के पद पर हुई हो, वह उस मास के, जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु उक्त नियम का उपरोक्त वर्णित सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा।

इस उप-नियम के प्रयोजन के लिये “छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य” से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार



की गई हो और उसमें ऐसा चिकित्सा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जो बीस वर्ष से अन्यून अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित चिकित्सा शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।

**Li "Vhdj .k&2&** इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा हौम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो और उसमें ऐसा आयुर्वेद शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो और जो बीस वर्ष से अन्यून अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित आयुर्वेद शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।

(ख) खण्ड (क) में, अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैसठ वर्ष की, की गई वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से लागू समझी जाएगी।"

**¼ kp½** उप-नियम (1-ड) को उसके खण्ड (क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(ख) खण्ड (क) में, अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैसठ वर्ष की की गई वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से लागू समझी जाएगी।"

**¼N%** उप-नियम (1-ड) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:-

**¼¼&p¼d½** उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का

प्रत्येक सदस्य, जिसकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर हुई हो एवं छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य जिसकी नियुक्ति, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर हुई हो, छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक सदस्य जिसकी नियुक्ति, छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1981 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर हुई हो तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य जिसकी नियुक्ति, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक के पद पर हुई हो वह उस मास के, जिसमें वह पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा :

परंतु उपरोक्त वर्णित सेवाओं के उपरोक्त वर्णित पदों के सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा।

**Li "Vhdj .k&1&** इस उप-नियम के प्रयोजन के लिये "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य",

“छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य”, “छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का कोई सदस्य” तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई है और उसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित है, जो किसी प्रशासनिक पद पर पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया गया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) अथवा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो।  
(ख) खण्ड (क) के उपबंध, दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से लागू हुई समझी जाएगी।’

# CHHATTISGARH ACT

(No. 25 of 2013)

## THE CHHATTISGARH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013.

An Act further to amend the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No.29 of 1967).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

**Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No.29 of 1967), in Rule 56 of Fundamental Rules, following amendment shall be incorporated, namely :-

**Amendment of Rule 56 of Fundamental Rules substituted by section 2 of the Chhattisgarh Act No.29 of 1967.**

(i) For sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), every Government Servant other than a Government Servant mentioned in sub-rules (1-a), (1-b), (1-c) (1-d), (1-e) and (1-f), shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that on attaining the age of sixty years above mention Government Servant, whose date of birth falls on first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month."

(ii) For sub-rule (1-a), the following shall be substituted, namely:-

"(1-a) Subject to the provisions of sub-rule (2), every Government Teacher other than a Government Teacher mentioned in sub-rules (1-d) and (1-e), shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty two years:

Provided that on attaining the age of sixty two years above mention Government Teacher, whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month.

**Explanation-** For the purpose of this sub-rule, "Government Teacher" means a Government Teacher, other than a Government Teacher mentioned in sub-rules (1-d) and (1-e), by whatever designation called, appointed for the purpose of teaching in a Government educational institution in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment and shall also include a teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years, provided that he holds a lien on the post in the concerned Government educational institution".

(iii) For sub-rule (1-c) the following shall be substituted, namely:-

"(1-c) (a) Subject to the provisions of sub-rule (2), every member of the Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Service appointed to a 'veterinary medical' post mentioned in Schedule -I to the Chhattisgarh Veterinary

Service (Gazetted) Recruitment Rules,1966 shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 62 years:

Provided that on attaining the age of sixty two years every above mentioned member of the above mentioned Rules, whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty two years.

**Explanation:-** For the purpose of this sub rule "a member of the Chhattisgarh Veterinary Services (Gazetted)" means a Government servant, by whatever designation called, appointed as a veterinary medical officer or specialist in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment and shall also include such veterinary medical officer or specialist who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has served as veterinary medical officer or specialist for not less than twenty years provided he holds a lien on the post in concerned Chhattisgarh Veterinary Services (Gazetted)."

(b) The increase of age of superannuation from sixty years to sixty two years in clause (a) shall be deemed to have come into force from 1<sup>st</sup> of September, 2008."

(iv) For sub-rule (1-d), the following shall be substituted, namely:-

"(1-d) (a) Subject to the provisions of sub rule (2), a member of Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Services (excluding General Duty Medical Officer, Assistant Superintendent of Teaching Hospital and Dental Surgeon) appointed to a medical teacher post mentioned in Scheduled-I to the

Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) service Recruitment Rules, 1987 and a member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy)(Gazetted) Services appointed to an Ayurvedic Teacher Post, mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987 shall retire from service on the after noon of the last day of month in which he attains the age of sixty five years:

Provided that on attaining the age of sixty five years the abovementioned member of the said Rules, whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month.

**Explanation-I** For the purpose of this sub-rule " a member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Services" means a Government servant, by whatever designation called, appointed for the purpose of teaching in Government Medical College, in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment and shall also include the medical teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years, provided he holds a lien on the post in concerned Medical Education Service."

**Explanation-II** For the purpose of this sub-rule "a member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Services Recruitment Rules, 1987" means a Government servant, by whatever designation called, appointed for the purpose of teaching

in Government Ayurved College, in accordance with the recruitment rules applicable to such appointment and shall also include the Ayurved teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years, provided he holds a lien on the post in concerned Ayurved Education Service”.

(b) The increase of age of superannuation from sixty two years to sixty five years in clause (a) shall be deemed to have come into force from 1st April, 2007."

(v) Sub-rule (1-e) the clause shall be renumbered as clause (a) and after clause (a) of sub-rule (1-e) the following shall be added, namely:-

"(b) The increase of age of superannuation form sixty two years to sixty five years in clause (a) shall be deemed to have come into force from 1st April, 2012."

(vi) After sub-rule (1-e) the following shall be added namely:-

"(1-f) (a) Subject to the provision of sub-rule (2), every member of the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service appointed to a medical post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules,1988, every member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of medicine and Homeopathy) (Gazetted) Services appointed to a medical post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) Recruitment Rules, 1987, every member of the Chhattisgarh Employees State Insurance Services (Gazetted) appointed to a medical



post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Employees State Insurance Services (Gazetted) Recruitment Rules, 1981 and a member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Services appointed to a General Duty Medical Officer, Assistant Superintendent of teaching Hospital or Dental Surgeon mentioned in Schedule 1 to the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987 shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 65 years:

Provided that on attaining the age of sixty five years, a member of the abovementioned Services in the above mentioned posts, whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month.

**Explanation -I** For the purpose of this sub-rule" a member of the Chhattisgarh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Services", "A Member of Chhattisgarh Public Health (Indian systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Services" a member of the Chhattisgarh Employees State Insurance Services (Gazetted) and a member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Services means a Government servant, by whatever designation called, appointed as Medical Officer or Specialist in accordance with the recruitment rules and shall also include such Medical officer or Specialist who is appointed to a administrative post by promotion or otherwise, provided he holds a lien on a Medical post in concerned the Chhattisgarh Public Health & Family

Welfare (Gazetted) Services or the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of medicine and Homeopathy) (Gazetted) service or Chhattisgarh Employees State Insurance Services (Gazetted) or Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Services.

(b) The provision of clause (a) shall be deemed to have come into force from 1st April, 2013."